आजादी का अमृत महोत्सव

<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

::–कार्यालय आदेश ::–

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रंमाक शिविरा/मा./संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 02–09–2023 एंव शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 08–10–2023 के अनुसरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा–2022 में चयनित अभ्यर्थियों को श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प.17(15) शिक्षा–2/2014 जयपुर दिनांक 27–08–2021 एंव निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रंमाक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 07–09–2023 की पालना में इस कार्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक की दिनांक 08–09–2023 से 09–09–2023 तक को काउसलिंग आयोजित कर परामर्श शिविर में उपस्थित/अनुपस्थित के विकल्प/सहमति पत्र के अनुसार सलंग्न सूची में इनके नाम के सम्मुख अंकित विघालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रुप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं।

संबधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से सम्पादित करें :–

1– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबधित अभ्यार्थी का सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतू यह आवश्यक नही होगा।

2– जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एंव 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

3– किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता हैं तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

4– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1) डीओपी/ए.II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 रुपयें के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावें।

5– विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ हैं, तो तत्संबंधी आशय का 50/– रु. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावें।

6– आवेदक का दहेज नही लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावें।

7– आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान अपने स्तर पर करेगें, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण पुनः इस कार्यालय को भिजायेगें।

8– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमूनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महगांई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ती, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

9– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।

10– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।

11– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ–12 (9) एफडी (रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

12– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाप्रति (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाप्रति (फोटो) चस्पा है।

Signature valid
Digitally signed by Seema Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.09 12:28:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4873141

192
09.10.2023

Scanned with OKEN Scanner

13– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एंव खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एंव उनके विरुद्व कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावें।

14– चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयू एवं आरक्षण सबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रुप से करें।

15– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने सबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

16– अन्य विभाग से आने वाले कार्मिकों से सबंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावें।

17– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.7(13) कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एंव राष्ट्र की प्रभूता, अखण्ड़ता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एंव निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **30–10–2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवानें की व्यवस्था की जावें। एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

सलंग्न :– (कस 01 से 04 की सुची)

(सीमा शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

कमांक :– जिशिअ/मु./माध्य/बालोतरा/संस्था/शाशिग्रेड–ााा/23/192 दिनांक :–09.10.2023

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ।

1– श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।
2– श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
3– श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4– श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर मण्डल जोधपुर।
5– श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर/बालोतरा।
6– जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बालोतरा/बाड़मेर।
7– समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ———————————— जिला बालोतरा।
8– सबंधित पीईईओ/प्रधानाचार्य ————————————————।
9– सबंधित श्री ————————————————————————।
10– रक्षक पत्रावली।
11– नोटिस बोर्ड।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

Signature valid
Digitally signed by Seema Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.09 12:28:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4873141

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

क्रमांक :– जिशिअ/मु/मा/बालो./संस्था–3/शा0शि0 अध्या0/2023/192 दिनांक :–09.10.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा–2022 में अंतिम रूप से चयनित, पात्र एंव अभिस्तावित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश

SLNO	ROLLNO	NEW RANK	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	TSP/NTSP	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	715630	2328	ANITA DEVI	BHINYA RAM	01-Jul-83	Female	OBC	—	GEN	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL POSHAL NAGAR (409488)(08170304305)	BALOTRA	
2	702312	2057	ARJUN BISHNOI	KAILASH KUMAR BISHNOI	03-Apr-94	Male	OBC	—	OBC	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LUMBANIYO KI DHANI (496860)(08171404401)	PATODI	
3	737517	2289	RAMESHWAR	BHANWAR RAM	14-Sep-98	Male	OBC	—	OBC	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KALU JI KA BERA PAU SIWANA BARMER (409721)(08170411504)	SIWANA	
4	738693	2499	SAMPAT RAM	NOLA RAM	01-Jun-90	Male	OBC	—	OBC	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TOONKIYA (504161)(08170515001)	PANYLA KLA	

(सीमा शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, बालोतरा

Signature valid

Digitally signed by Seema Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.09 12:28:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4873141

Scanned with OKEN Scanner